राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 948वी बैठक दिनांक 04.05.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 948वी बैठक दिनांक 04.05.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

3. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
4. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधि सूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय	निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत से
1.	P2/320/24	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
2.	P2/322/24	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
3.	P2/346/24	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
4.	P2/341/24	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
5.	P2/2048/25	2(b)	जबलपुर	Benificiation Plant	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	सर्वसम्मति से
6.	P2/2305/26	1(a)	धार	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
7.	6124/19	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
8.	10694/23	1(a)	जबलपुर	लेटेराईट ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
9.	P2/1691/25	1(a)	इन्दौर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	सर्वसम्मति से
10.	P2/1508/25	1(a)	कटनी	मार्बल खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
11.	P2/1001/2	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।	बहुमत से

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/1910/25	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
13.	10221/23	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
14.	P2/1206/25	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
15.	P2/1738/25	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
16.	P2/1125/25	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
17.	P2/1124/25	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
18.	P2/2242/25	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
19.	P2/2304/26	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
20.	P2/2306/26	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
21.	11020/23	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से
22.	P2/1923/25	2(b)	जबलपुर	Iron Ore Benificiation Plant	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
23.	670/12	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
24.	669/12	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
25.	P2/39/24	1(a)	रतलाम	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	बहुमत से
26.	P2/2253/26	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित	सर्वसम्मति से
27.	P2/1064/25	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	सर्वसम्मति से

9/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/520653/2025, Case No. P2/320/2024, Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 4.00 Hectare, For Producation Capicity of - 36000 cum per annum, at Khasra No.- 258, 259, in Village - Lilwari, Tehsil - Lahar, District - Bhind (MP) by Shri -Ramakant Panday, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ------ In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc..

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lackof technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो कमियां है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/520093/2025, Case No P2/322/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 9.000 Hectare, For Producation Capicity of-65200 cum per annum, at Khasra No.- 1576, in Village - Ajnar-2 , Tehsil - Lahar, District - Bhind (MP) by Shri Ramakant Panday, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

"------ In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc..

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lackof technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो कमियां है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26	19/5/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/520625/2025, Case No. P2/346/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 5.975 Hectare, For Producation Capicity of-36095 cum per annum, at Khasra No.- 01, 20, 15, in Village - Chandawali, Tehsil - Lahar, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ------ In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc..

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lackof technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो कमियां है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/520816/2025, Case No P2/341/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 4.000 Hectare, For Producation Capicity of-53500 cum per annum, at Khasra No.- 434, in Village - Barethi Khurd-2, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ------ In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc..

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lackof technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो कमियां है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. Proposal No. SIA/MP/IND1/566388/2026; Case No.-P2/2048/2025: Prior Environment Clearance for M/s Syna Steels and Metals Private Limited (Formerly Known As Jain Mines and Minerals (India) Pvt Ltd. Located At Plot No 65, 66 & 67, Industrial Area VillageHargarh, Tehsil - Sihora, Distt. – Jabalpur (M.P.) - 483225. Land Area - 2.429 + 3.471= 5.9 Ha., Product & Capacity: Beneficiation of Iron Ore – 12,00,000 TPA. [90,000 TPA (Existing), 11,10,000 TPA (Proposed)] by Shri Abhyuday Agrawal, Director, M/S Syna Steels And Matels Private Limited (Formerly Jain Mines & Minerals (I) Pvt Ltd, Plot No 65, 66, 67, & 74, 75, & 76, Industrial Area Village Hargarh, Tehsil Sihora, Distt. – Jabalpur(M.P.) 483225. Cat: 2(b) Mineral Beneficiation Project. For-EIA (Expansion) Presentation

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The committee has observed that this is a case of EC expansion for production capacity from 90,000 TPA to 1200,000 TPA benefication of iron ore.. The EC was issued vide letter no. no. 837 dated 14/12/2011 for iron ore benefication 90000 MTA in the name of JAIN MINES AND MINERALS (I) PVT. LIMITED. The production capacity expansion is required in the name of M/s. SYNA STEELS AND METALS PVT LMT without existing EC transfer and CCR from MoEF&CC.

The PP and Env Consultant are agreeing to abide by provision of EPA notification 2006 and ready to make application for transfer of EC and to obtain CCR from MoEF&CC.

In light of above facts, the application is not maintainable at this stage for EC expansion, as this attracts transfer of existing EC in name of applicant and CCR from MoEF&CC prior to consider the application. Hence case is not recommended for grant of EC"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/554296/2026Case No. P2/2305/2026 Prior Environment Clearance for Murram Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Producation Capicity of 20,000 Cum/Annum, at Khasra no. 35, R/o Village-Bachhanpur , Tehsil- Pitampur, District : Dhar (M.P.) by Smt. Sulochna, Lessee, R/o Village Barjhar, Alirajpur, District-Alirajpur (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक **शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा पत्र क्र. 2663 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज** अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के)हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/564269/2026, Case No. 6124/2019, Prior Environment Clearance Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Ha., For Producation Capicity of-5,130 M3/Year, at Khasra No.- 192/1, Village: Teliya Thad, Tehsil: Khaknar, District: Burhanpur (M.P.) by Shri Ram Singh, R/o Village: Teliya Thad, Tehsil: Khaknar, District: Burhanpur (M.P.) regarding transfer of EC in the name of Shri Kanhaiya Shivara, Owner, 63 Ward No. - 32 , Peracity Colony, VTC Harda Po. Harda,Disrict - Harda (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 29/04/2025 and application for EC transfer is 13/02/2026 on portal. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal for speedy disposal of such cases..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Ram Singh, R/o Village: Teliya Thad, Tehsil: Khaknar, District: Burhanpur (MP)** के नाम **Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Ha., For Producation Capicity of-5,130 M3/Year, at Khasra No.- 192/1, Village: Teliya Thad, Tehsil: Khaknar, District: Burhanpur (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Kanhaiya Shivara, Owner, 63 Ward No. - 32 , Peracity Colony, VTC Harda Po. Harda,Disrict - Harda (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1287–88 दिनांक 24.06.2019 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बुरहानपुर के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 343 दिनांक 29.04.2025 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2030 तक वैध मान्य रहेगी। ।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/MIN/557737/2026, Case No. 10694/2023, Prior Environment Clearance for Laterite Ochre and Clay Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.79 Ha., For Producation Capicity of 76,094 TPA, at Khasra No. 1616, Village- Hardua Tehsil- Majholi District Jabalpur (M.P.) by Smt. Pooja Agarwal W/o Late Shri Anoop Agarwal, R/o 1204 State Bank Colony, Depo No. 2, Post Hatital, District Jabalpur (MP) regarding transfer of EC in the name of Shri Arun Chopra, Partner and Authorized Signatory, Shree Anand Janak Swaroop Minerals and Logistics Company, Oposit Lenord College Civil Lines, Flat-103, Sigma Gold,Opposite Old Rto,South Civil Lines, Jabalpur (MP).**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 30/05/2025 and application for EC transfer on Parivesh Portal is 11/11/2025. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC..

It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal for speedy disposal of such cases..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 875वी बैठक दिनांक **12.03.2026** में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Pooja Agarwal W/o Late Shri Anoop Agarwal, R/o 1204 State Bank Colony, Depo No. 2, Post Hatital, District Jabalpur (MP)** के नाम **Laterite Ochre and Clay Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.79 Ha., For Producation Capicity of 76,094 TPA, at Khasra No. 1616, Village- Hardua Tehsil- Majholi District Jabalpur (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Arun Chopra, Partner and Authorized Signatory, Shree Anand Janak Swaroop Minerals and Logistics Company, Oposit Lenord College Civil Lines, Flat-103, Sigma Gold,Opposite Old Rto,South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. **Identification No. – EC24B001MP165802** दिनांक **22.05.2024** में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते तथा वैधता यथावत रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

08/5/26

(सुधीर कुमार **कोचर**)
सदस्य सचिव

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव **नारायण सिंह चौहान**)
अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/563675/2026Case No. P2/1691/2025 Prior Environment Clearance for Murram & Stone Quarry, in an area of 3.900 Ha., For Producation Capicity of Gitti: 90,000 Cubic Meters Per Year & Murram: 12,000 Cubic Meters Per Year, at Khasra No.– 3, Village: Jamanya Jagir, Tehsil: Mhow & District: Indore (M.P) by Shri Karan Singh Thakur, Director Prathvi Infrastructure Private Limited, R/0- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... After presentation the committee has observed following facts in the case :-

- *The lease was valid from 2011 to 2021 and extended till 2026 however no production is reported and dead lease rent documents are not produced.*
- *CTO from MPPCB related documents are not produced .*
- *The litigation related updated information is not produced.*

In light of above facts, the case is not recommended for grant of EC."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/536699/2025, Case No. P2/1508/2025 Prior Environment Clearance for Marble Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.65 ha.,for Proposed Production 2,24,100 TPA, at Khasra No. 148, Village- Chapra, Tehsil – Bahoriband, District – Katni (M.P.). by Shri Shekh Asgar, Individual, Makan No. 410, Ward No. 08, near NADI, Sleemnabad, Sleemnabad, Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 एवं 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA का अभिमत, सदस्य सचिव SEIAA से भिन्न है। अध्यक्ष एवं सदस्य का मत सदस्य सचिव से भिन्न होने का कारण नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ 24 पर दर्शाया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA पूर्ण विचारोपरांत बहुमत से निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA ने प्रकरण में पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC की 809वी बैठक दिनांक 10.07.2025, SEAC कह 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025, SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025, SEIAA की 925वी बैठक दिनांक 24.12.2025, SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में विचारण में लिया गया। SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 एवं 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई है। SEIAA की इस बैठक 948वी दिनांक 04.05.2026 में SEAC की अनुशंसा को बहुमत से मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से 30 वर्ष (दिनांक 22.12.2033 तक) की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.12.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07/09/2013 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(डॉ. सुचंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन **दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम** के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे **जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर** अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं** जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध **करावाई जाये।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/536699/2025, Case No. P2/1508/2025 Prior Environment Clearance for Marble Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.65 ha.,for Proposed Production 2,24,100 TPA, at Khasra No.148, Village-villageChapra, Tehsil – Bahoriband, District – Katni (M.P.). by Shri Shekh Asgar, Individual, Makan No. 410, Ward No. 08, near NADI, Sleemnabad, Sleemnabad, Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **839वी बैठक दिनांक 28.10.2025** एवं 875वी **बैठक दिनांक 12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1508/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती क्रमांक 426 के पृष्ठ क्रमांक 24 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006** व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार **प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के** कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण पत्र दिनांक 17.04.2025 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मात्र 01 अन्य खदान मेसर्स बाहुबली मिनरल्स रकबा 2.06 हे. की होना बतायी गई, जिसको मिलाकर कुल रकबा 4.71 हेक्टेयर होना प्रतिपादित किया गया है।

II. किन्तु जब प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के अनुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई KML को जब शासन के PM Gatishakti पोर्टल पर परीक्षण किया गया तो खनिज विभाग म.प्र. द्वारा PM Gatishakti पर अपलोड डाटा के अनुसार प्रस्तावित खदान के पास 02 अन्य खदानें 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित हुई। इनमें से एक खदान मेसर्स बाहुबली मिनरल्स रकबा 2.06 हे. एवं दूसरी खदान मेसर्स लक्ष्मी गौर मिनरल्स रकबा 1.17 हे. की स्वीकृत/संचालित है। इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.88 हेक्टेयर होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ज्ञापनों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र होने के फलस्वरूप प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना परिलक्षित है, जबकि प्रकरण में आवेदन बी–2 श्रेणी अंतर्गत किया गया है।

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

III. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं PM Gatishakti पोर्टल पर दी गई जानकारी दोनो में विरोधाभास है, क्योंकि दोनो में ही जानकारी खनिज विभाग द्वारा ही दी गई है। चूँकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित अन्य खदानों में से कितनी खदानें निरस्त/समर्पित हो गई है एवं कितनी खदाने वर्तमान में स्वीकृत/संचालित है, ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति के विषय में समुचित निर्णय लेने से पूर्व इस संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

IV. प्रश्नाधीन खदान की गूगल ईमेज देखने से भी यह परिलक्षित होता है कि उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदाने पूर्व से स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC समिति द्वारा गूगल ईमेज के आधार पर अपने स्तर से ही जिले के सक्षम प्राधिकारी से यह अभिप्रमाणीकरण करवाया जाना उचित होता कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित अन्य खदानों में से कितनी खदानें वर्तमान में स्वीकृत/संचालित है एवं कितनी खदानें निरस्त/समर्पित हो गई है।

(5) उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की सही/स्पष्ट वस्तुस्थिति कलेक्टर जिला कटनी से प्राप्त करने के उपरांत SEAC समिति द्वारा प्रकरण बी–1 श्रेणी में अथवा बी–2 श्रेणी का है के संबंध में पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रेषित किये जाने हेतु SEAC को भेजा जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) 09/6/26
सदस्य **सचिव**

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/521676/2025, Case No. P2/1001/2024, Prior EnvironmentClearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.5 ha., For Production Capicity of-22483 cum per annum, at Khasra No. 86 Part, Village- Dhadhra,Tehsil Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)by Smt. Kalpana Pachouri, Owner, 130, Gulaua chowk, Garah, Jabalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी** बैठक दिनांक 12.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA का अभिमत, सदस्य सचिव SEIAA से भिन्न है। अध्यक्ष एवं सदस्य का मत सदस्य सचिव से भिन्न होने का कारण नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ 25 पर दर्शाया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA पूर्ण विचरोपरांत बहुमत से निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षर न करते हुए Scan हस्ताक्षर लगाये है जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन है।

2. पर्यावरण सलाहकार संस्था द्वारा भी परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र पर Original हस्ताक्षर न करवाते हुए Scan हस्ताक्षर लगाये गये है जो कि प्राधिकरण के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन होकर गंभीर त्रुटि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं पर्यावरण सलाहकार के विरूद्ध कार्यवाही की किये जाने हेतु NABET/QCI एवं SEAC को पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

19/5/26

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

19.05.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/521676/2025, Case No. P2/1001/2024, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.5 ha., For Producation Capicity of-22483 cum per annum, at Khasra No. 86 Part, Village- Dhadhra,Tehsil Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)by Smt. Kalpana Pachouri, Owner, 130, Gulaua chowk, Garah, Jabalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1001/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत ADS जारी किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20. 05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती क्रमांक 426 के पृष्ठ क्रमांक 25 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 **(7)** का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षर न करते हुए Scan हस्ताक्षर लगाये है जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन है।

II. पर्यावरण सलाहकार संस्था द्वारा भी परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र पर Original हस्ताक्षर न करवाते हुए Scan हस्ताक्षर लगाये गये है जो कि प्राधिकरण के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन होकर गंभीर त्रुटि है।

III. पर्यावरण सलाहकार द्वारा SEAC के समक्ष बताया गया कि लीज क्षेत्र में 100 झाड़िया है, जबकि गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र में काफी संख्या में पेड़ परिलक्षित है। अतः लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों के संबंध में वनमण्डलाधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाये।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत SEAC समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर सत्यापन करवाये जाने व Original हस्ताक्षर के साथ नवीन शपथ पत्र प्राप्त किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों के भौतिक सत्यापन के संबंध में वनमण्डलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/536490/2025, Case No. P2/1910/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.30 ha., For Producation Capicity of- Gitti 124581 cum per annum & M.Sand 15000 cum per annum, at Khasra No. 55/4/1, Village- Bamhani Gadiha, Tehsil- Semariya & District Rewa, (M.P.) by Shri Vipin Singh, Partner, Shiv Shakti Constructions, House No.- 52, Raghurajnagar, Gram-Badaur, Bador, Tehsil-Kothi, District- Satna (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 एवं 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 एवं 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वारा पत्र क्र. 528 दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (03 वर्ष) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/521597/2025Case No. 10221/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area - 1.950 Ha., For Producation Capicity of - 25,080 Cum/Year, at Khasra No. 161, Village-Palasia, Tehsilanjad, District-Badwani (M.P), by Shri Pankaj Patidar, Lessee, 465, Ward No. 07, Gandhi Marg, Bus Stand Anjad,Barwani, District-Badwani (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 एवं 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 एवं 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी द्वारा पत्र क्र. 699 दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.07.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से दोनो ओर न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में मौजूद 01 पलाश के पेड़ को काटा नहीं जायेगा एवं उसका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वयः कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

08/5/26	19/5/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 | 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/560825/2025, Case No. P2/1206/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.564 ha., For Producation Capicity of-300000 Tons per Annum, at Khasra No. 23/1Ka, 23/1Kha, 23/3, Village- Bhoteura Tehsil- Maihar District-Maihar (M.P.)by Shri Rajesh kumar Choudha, Lease Owner, R/o- 267, Jhanda Bazar, Pace computer kepass, Murwara, District- Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।**

प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य, का अभिमत, सदस्य सचिव के मत से भिन्न है। इसका कारण नस्ती क्र. 426 के पृ. क्र. 25 पर दर्शाया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण Lime Stone Mineral का है। यह The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 की अनुसूची 4 के अनुसार Notified Minerals है। Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules 2016 के नियम 12 (d) में प्रावधान है कि " **the lessee shall not carry on or allow to be carried on, any mining operations at any point within a distance of fifty meters from** any railway line, except under and in accordance with the previous written permission of the railway administration concerned or under or beneath any ropeway or ropeway trestle or station, except under and in accordance with the written permission of the authority owning the ropeway or from any reservoir, canal or other public works, or buildings, except under and in accordance with the previous written permission of any officer authorised by the State Government in this behalf. The said distance of fifty meters shall be measured in the case of railway, reservoir or canal, horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building, horizontally from the plinth thereof;"

प्रश्नाधीन प्रकरण में सदस्य सचिव द्वारा उक्त विधिक प्रावधान को अनदेखा किया गया है। सदस्य सचिव द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर WP 22488/2023 का उल्लेख किया है किंतु उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 11.03.26 की मूल भावना, आदेश के सारांश एवं operative part को अनदेखा किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में उल्लेख है कि " According to the petitioner, the requirement of maintaining a 200 meter no-mining zone is unsustainable because after leaving a 200 meter distance, the petitioner would hardly get an area for mining and crushing the stones. Hence, the present writ petition is before this court" यह भी उल्लेख है कि "Order passed by the National Green Tribunal, Principal Bench at Delhi on 21.07.2020, passed in O.A. No. 304/2019. The SEIAA failed to take into consideration the fact that the aforesaid order dated 21.07.2020 had been quashed by the High Court of Kerala vide judgment dated 21.12.2020 in the case of M/s V.K. Rocks Pvt.Ltd. vs. The State of Kerala and others, in WP(c) No. 15962/2020"

14/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के para 8 के अनुसार पाया कि " We find substance in the submission made by learned senior counsel that the respondent NO. 3 be directed to reconsider the matter afresh independently without being influenced by the interim order passed by the Green Tribunal, which had already been quashed by the Kerala High Court in the case of M/s V.K. Rocks Pvt.Ltd."

para 9 में आदेशित किया गया है कि " Therefore, Annexure P-5, so for as it relates to the case of the petitioner for the grant of conditional Environmental Clearance, is quashed. Let the case of the petitioner for the grant of environmental clearance be considered afresh, independently, as discussed above, within a period of 60 days from today. "

प्रश्नाधीन प्रकरण में सदस्य सचिव ने बताया कि इसमें खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिये इसे निरस्त किया जावे, किन्तु सदस्य सचिव द्वारा यह नहीं बताया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में कुल रकबा 3.564 हेक्टेयर में माननीय उच्च न्यायालय की याचिका कमांक 22488/2023 एवं माईनिंग मिनरल्स कन्सेंशन रूल्स 2016 के नियम 12 डी का पालन करने के बाद आवेदित क्षेत्र एवं IBM (Indian Bureau of Mines) के पत्र कमांक E12966 MCDR-MPC0LST/6/2025-JBP-IBM_RO_JBP दिनांक 20.03.1014 के द्वारा अनुमोदित क्षेत्र 3.564 हें. में से कुल कितना क्षेत्र खनन योग्य है एवं कितना क्षेत्र खनन योग्य नहीं है।

SEAC ने पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की है। SEAC में EC हेतु प्राप्त आवेदनों को MS (SEAC) स्तर पर प्रारंभिक जॉच तथा आवश्यक दस्तावेजों के पूर्ण होने पर प्रकरण SEAC समिति के समक्ष मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। SEAC द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण परियोजना स्थल को पर्यावरणीय संवेदनशीलता की दृष्टि से तकनीकी तथा वैज्ञानिक मूल्यांकन कर पर्यावरण को न्यूनतम क्षति होने एवं आवश्यक Mitigative Measures प्रस्तावित करने के आधार पर निर्धारित शर्तो सहित SEIAA को अनुशंसित किया जाता है। इसके अलावा SEIAA सचिवालय द्वारा प्रेषित संक्षेपिका में भी EC प्रदाय करने की अनुशंसा की है। EIA अधिसूचना 2006 पैरा 8 (i) (ii) में स्पष्ट प्रावधान है कि SEIAA द्वारा सामान्यतः SEAC की अनुशंसा को स्वीकार किया जायेगा। यदि SEAC की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका ठोस कारण देना होता है। **प्रश्नाधीन प्रकरण में सदस्य सचिव द्वारा SEAC की अनुशंसा को स्वीकार नहीं करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 की** विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को बहुमत के **आधार पर मान्य** करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण **की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 19.04. 2023 के माध्यम से 20 वर्ष (दिनांक 27.06.2032 तक) की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है,** अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.06.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Mineals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerlas) Concession Rules 2016 के नियम 12 (1) (d) अनुसार मानब बसाहट (आबादी) से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व लीज क्षेत्र के चारो ओर सुरक्षा दीवाल बनाई जायेगी, जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 फिट रहेगी। इसका पालन प्रतिवेदन 03 माह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्त का परिपालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) 19/5/26
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन** की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित **गतिविधियों के कियान्वयन** सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रत्येक 06 माह में** प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित **अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक** जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता **अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित** करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन **जमा करेगा।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

19.05.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/560825/2025 Case No. P2/1206/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.564 ha., For Producation Capicity of-300000 Tons per Annum, at Khasra No. 23/1Ka, 23/1Kha, 23/3, Village- Bhoteura Tehsil- Maihar District-Maihar (M.P.)by Shri Rajesh kumar Choudha, Lease Owner, R/o- 267, Jhanda Bazar, Pace computer kepass, Murwara, District- Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1206/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

(सुधीर कुमार कोचर) 09/6/26
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 25 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04. 05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से माननीय एनजीटी निर्देशानुसार मानब बसाहट से ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर की दूरी तक नो माईनिंग जोन निर्धारित है, जिसके परिपालन में उक्त खदान से मानब बसाहट की दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसी तरह के समस्त प्रकरणों में पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा माननीय एनजीटी के आदेशानुसार नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर एवं ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर को आधार मानकर निर्णय लिया गया है।

II. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 22488/2023 में दिनांक 11.03.2026 को निर्णय पारित किया गया जिसका ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है :–

"7. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) is a key regulatory body in India, acting as the primary gatekeeper for environmental clearances at the state level. The authority operates under the Environment Protection Act, 1986 and the EIA Notification, 2006. Its main job is to decide whether a project should be allowed to proceed based on its potential environmental footprint.

(सुधीर कुमार कोचर) 09/6/26
सदस्य सचिव

8. We find substance in the submission made by learned senior counsel that the respondent No.3 be directed to reconsider the matter afresh independently without being influenced by the interim order passed by the Green Tribunal, which had already been quashed by the Kerala High Court in the case of M/s V.K. Rocks Pvt. Ltd. (supra).

9. Therefore, Annexure P-5, so far as it relates to the case of the petitioner for the grant of conditional Environmental Clearance, is quashed. Let the case of the petitioner for the grant of Environmental Clearance be considered afresh, independently, as discussed above, within a period of 60 days from today."

III. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नम्बर 304/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय केरला द्वारा WP (C) नम्बर 1596/2020 (M/s V.K. Rocks Pvt. Ltd. Vs. The State of Kerala and Others) में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 का विवरण भी अंकित किया गया है। इन सभी निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन प्रकरण का परिशीलन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

IV. चूँकि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी अन्य मुख्य खनिजों (Major Minerals) के प्रकरणों (प्रकरण क्रमांक P2/1500/2025, P2/1550/2025, P2/1034/2025, P2/31/2024 etc.) में ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर एवं नॉन ब्लासस्टिंग हेतु 100 मीटर की निर्धारित दूरी नो माईनिंग जोन के रूप में छोडे जाने की शर्त के साथ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार इस प्रकरण में भी मानब बसाहट से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण SEAC को पुनः परीक्षण एवं स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसा किये जाने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मुख्य खनिज के अन्य प्रकरणों में लिये गये निर्णयों के अनुसार समान श्रेणी के प्रकरणों में एक समान निर्णय लिये जाने के आधार पर प्रश्नाधीन प्रकरण को भी पुनः परीक्षण हेतु SEAC को भेजा जाये।

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। **सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।**

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/520638/2025, Case No P2/1738/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine, in an area of 2.00 ha., For Producation Capicity of- 35910 cum per annum, at Khasra No. 259/1, Village-jhumar Tehsil- Laundi District Chhatarpur (M.P.) by Shri Nikhil Tripathi, Partner, Add. Mada, Tehsil Lavkush Nagar, District-Chhatarpur. (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The committee has observed that lease permission is no more valid at present and expired on dated 15/03/2024, the validity of lease in the name of applicant is an integral part of EC.

As the lease permission has already expired more than a year back period, hence case is not recommended for grant of EC."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा ई–मेल दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रकरण से संबंधित लीज पत्र की वैधता विस्तार का दस्तावेज प्राप्त हो गया है, तथा SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष वैध लीज प्रमाण पत्र/जानकारी प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/05/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/525947/2025; Case No P2/1125/2025: Prior Environment Clearance for proposed "Mukund Majesty" Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. - 156/1, 152 and 160/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.), Total Project Area – 27600.00 Sqm. (6.51 Ha.) Built up Area -75,042 sq mt., by Shri Siyaram Patidar, Partner M/s Mukund Developers, The proposed project consists of Residential Plots and Apartments.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयानुसार पुन: परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया गया था। SEAC समिति द्वारा 876वी बैठक दिनांक 13.03.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

".....After presentation the committee observed that PP's Env. Consultant have not submitted proper reply w.r.t. query raised by SEIAA, hence instructed PP/Env. Consultant to submit proper NOC,s (from competant authority) as discussed in the meeting and to submit reply incorporating proper data, latest geotag photographs. Committee expressed displeasure for non submission of proper reply/NOCs (from competant authority) and invited ADS. ADS to be issued.

- *Earlier, in the SEAC meeting 864th Dated 27.01.2026 wherein Qry.raised.*

The Building Project is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 13/03/2026 the Project Proponent's Environmental Consultant Shri Varun Bhardwaj &Smt. Rashmi Saraswat, Zenith Environment Consultancy, Noida, (U.P.). appeared and made a query reply presentation before the committee wherein presented all relevant NOC's from the different government Departments along with Geotag Photographs.

MUKUND MAJESTY" DEVELOPMENT OF MULTI-UNIT

RESIDENTIAL (APARTMENT) PROJECT

Sr. No.	*Particulars*
1.	*T&CP Letter, Bhopal, Dated 18/01/2021*
2.	*Affidavit Regarding No Construction Certificate, Bhopal, Dated 05/03/2025*

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	*Water NOC (Vide order no. 165/सहा.यंत्री/ज.क.वि./न.नि./2024-25, भोपाल, Dated 28/08/2024*
4.	*Sewage NOC (Vide order no. 146/ सहा.यंत्री/सीवेज/न.नि.भो./2024, भोपाल, Dated 12/08/2024*
5.	*Solid Waste NOC (Vide order no. 160/स्वा.वि./2024 भोपाल, Dated 08/11/2024*
6.	*CTE (Consent No. CTE-61755, dated 14/02/2025)*
7.	*Undertaking regarding Fire Safety and Power Supply, Bhopal, Dated 13/11/2025*
8.	*Undertaking regarding Water Supply during Construction Phase, Bhopal, Dated 03/03/2025*

The case is reviwed by committee in light of SEIAA observation, *reply* ***before the committeeand relevantNOCsobtained*** *from the different* ***Government*** *Departments along with Geotag Photographs. Hence,* ***Committee decided to stand-by recommendation made in SEAC meeting 794th Dated 17.05.2025for grant of EC.***

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त परियोजना मेसर्स मुकुंद डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित बहु–आवासीय **(Apartment)** **"Mukund Majesty"** ग्राम सलैया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित खसरा क्रमांक 156/1, 152 एवं 160/1 पर निर्माण हेतु प्रस्तुत है। यह प्रस्ताव श्री सियाराम पाटीदार, पार्टनर, मेसर्स मुकुंद डेवलपर्स द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना का कुल क्षेत्रफल 27,600.00 वर्गमीटर (5.51 हे.) तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 75,042 वर्गमीटर है, जो 1,50,000 वर्गमीटर से कम है। अतः परियोजना ईआईए अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी "बी", अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत सम्मिलित है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 10 से 23 तक अंकित है।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.NO.	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/525947/2025.
2.	Project Name/Activity	Prior Environment Clearance for Proposed "Mukund Majesty" Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. -185, 186/1/2 & 186/2/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.),Total Project Area – 27600.00Sqm.(5.51 Ha.)Built up Area – 75,042sq mt.
3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	16000 Lakhs.
5.	Description of Project	The proposed project consists of Residential Plots and Apartments.
6.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted.
7.	Built up Area details	75,042 sq mt.,
8.	Building Permission	PMT/BHO/0269/1810/202 Date 24 May 2024.
9.	CTE details	Outward No:122171,14/02/2025, Consent No:CTE-61755, Date of issue 14/02/2025. Valid up to 30/01/2030.
10.	Partnership Deed Copy.	Upload on Parivesh Portal.
11.	MSW NOC	BMC Bhopal (Zone-18) Letter No. 160 dt. 08/11/2024.
12.	Sewage disposal NOC	BMC Bhopal (Zone-18 & 19) Letter No. 146 dt. 12/08/2024.

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13.	**T&CP Permission**	Letter No. BPLLP-7212LP-29 (3)T&CP Bhopal dated 18/01/2021.
14.	**Water NoC**	BMC Bhopal (Zone-18) Letter No. 165 dt. 28/08/2024.
15.	**Extra treated water NoC**	NOC Letter no. 146 dt. 12.8.2024
16.	**Water requirement details**	The total water demand for the project is around 470.56 KLD. Municipal corporation water supply will be used to fulfill the fresh water requirement. Fresh water 298.19 KLD Flushing 155.18 KLD Horticulture / Landscape 18 KLD, Total water requirement 470.56 KLD Wastewater 393.73 KLD, STP Capacity –500 KLD Proposed.
17.	**RWH**	17 Pits.
18.	**DG set capacity**	There is provision of DG set of total capacity 200 kVA for power back up in the Project.
19.	**Environmental Consultant Change**	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA का अभिमत, सदस्य सचिव SEIAA से भिन्न है। अध्यक्ष एवं सदस्य का मत सदस्य सचिव से भिन्न होने का कारण नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ 26 पर दर्शाया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA पूर्ण विचरोपरांत बहुमत से निर्णय लिया गया है। प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी, व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **794**वी बैठक दिनांक **17-05-2025** व **876**वी बैठक दिनांक **13-03-2026** में विशिष्ट शर्तों सहित की अनुशंसा को बहुमत के आधार पर मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्राधिकरण की विशिष्ट शर्तों (बिंदु **i** से **x)** व मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण PCB द्वारा करवाए जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक (PP) द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यदि कार्यस्थल पर आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का उल्लंघन पाया जाता है, तो PCB द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी एवं Violation का प्रकरण होने पर प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की ज़वाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्तिके लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया ज़ाना सुनिश्चित करें।

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।**

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/525947/2025; Case No P2/1125/2025: Prior Environment Clearance for proposed "Mukund Majesty" Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. - 156/1, 152 and 160/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.), Total Project Area – 27600.00 Sqm. (5.51 Ha.) Built up Area -75,042 sq mt., by Shri Siyaram Patidar, Partner M/s Mukund Developers, The proposed project consists of Residential Plots and Apartments.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति(EC)प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1125/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 26 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04. 05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 **व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार** प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही **होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार Zenith Environment Consultancy Noida द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण एवं प्रकरण कमांक P2/1124/2025 में प्रस्तुत की गई EMP एवं Conceptual Plan में सिर्फ आकड़ों में फेरबदल किया गया है बाकी सभी जानकारी कट कॉपी पेस्ट की गई है इसी प्रकार SEAC में ADS के माध्यम से प्रस्तुत की गई जानकारी भी दोनो प्रकरणों में समान कट कॉपी पेस्ट कर प्रस्तुत की गई है, जो कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार की गंभीर त्रुटि/अपराधिक आशय को दर्शाता है।

II. बैठक के दौरान ही प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से ही परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यदि परियोजना स्थल पर पूर्व से कार्य प्रारंभ हो गया है तो प्रकरण Violation के श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत SEAC समिति द्वारा परियोजना स्थल का भौतिक सत्यापन (Site Visit) कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराये जाने एवं परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा कट कॉपी पेस्ट कर प्रस्तुत किये **दस्तावेजों के संबंध** में निमयानुसार कार्यवाही **किये जाने के संबंध में प्रकरण** पुनः परीक्षण एवं भौतिक **सत्यापन हेतु SEAC** समिति को अग्रेषित किया **जाये।**

(सुधीर कुमार कोचर) 09/6/26
सदस्य सचिव

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

17. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/522930/2024; Case No: P2/1124/2025 Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village – Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area –59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area 71482.55 sq. mt. by Shri O.P Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) 462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयानुसार पुन: परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया गया था। SEAC समिति द्वारा 876वी बैठक दिनांक 13.03.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

".....After presentation the committee observed that PP's Env. Consultant have not submitted proper reply w.r.t. query raised by SEIAA, hence instructed PP/Env. Consultant to submit proper NOC,s as discussed in the meeting and to submit reply incorporating proper data, latest geotag photographs. Committee expressed displeasure for non submission of proper reply/NOCs and invited ADS. ADS TO BE ISSUED.

The Building Project is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 13/03/2026 the Project Proponent's EnvironmentalConsultant Shri Varun Bhardwaj &Smt. Rashmi Saraswat, Zenith Environment Consultancy, Noida, (U.P.). appeared and made a query reply presentation before the committee wherein presented all relevant NOC's from the different government Departments along with Geotag Photographs.

AASHIMA ANUPAMA CITY PHASE II" DEVELOPMENT OF

PLOTTED HOUSING (RESIDENTIAL FLAT)

Sr. No.	*Particulars*
1.	*T&CP Letter (Vide order no. BPLLP 120422210/Dated 16/08/2022*
2.	*Correction in PP Name (Vide order no. 1007/BPLLP120422210/29(1)/नग्रानि/जिका/2022, भोपाल, Dated 20/05/2024*

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	*Building Permission Letter (Vide order no. PMT/BHO/0269/1265/2023, Dated 25/05/2023*
4.	*Affidavit Regarding No Construction Certificate, Bhopal, Dated 25/12/2025*
5.	*Water NOC (Vide order no. 343/सहा.यंत्री/ज.क.वि./न.नि./2025-26, भोपाल, Dated 05/12/2025*
6.	*Sewage NOC (Vide order no. 742/ सहा.यंत्री/सीवेज/न.नि.भो., भोपाल, Dated 27/11/2025*
7.	*Solid Waste NOC (Vide order no. 646/स्वा.वि./2025 भोपाल, Dated 29/11/2025*
8.	*CTE (Consent No. CTE-61614, dated 22/01/2025)*
9.	*Undertaking regarding Fire Safety and Power Supply, Bhopal, Dated 31/10/22025*

The case is reviewed by committee in light of SEIAA observation, *reply* ***before the committee and relevant NOCs obtained*** *from the different Government Departments along with Geotag Photographs. Hence,* ***Committee decided to stand-by recommendation made in SEAC meeting 795th Dated 21.05.2025 for grant of EC.***.

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रस्तावित परियोजना **"Aashima Anupama City Phase II"** प्लॉटेड हाउसिंग **(Residential Flat)** ग्राम कटारा, तहसील कोलार, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित खसरा क्रमांक 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 एवं 140 पर निर्माण हेतु परियोजना हेतु प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव श्री ओ.पी.कृपलानी, डायरेक्टर, मेसर्स असनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ई–7/659, अरेरा कॉलोनी, पी.एन.बी. बैंक के पास, भोपाल (म. प्र.) 462011 द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 59,789.72 वर्गमीटर (14.77 एकड़) तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 71,482.55 वर्गमीटर है, जो 1,50,000 वर्गमीटर से कम है। अतः परियोजना ईआईए अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी "बी", अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत सम्मिलित है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 18 से 31 तक अंकित है।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/522930/2025.
2.	Project Name/Activity	Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area –59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt.
3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	11995 Lakhs.
5.	Description of Project	The proposed project consists of Plotted Housing (Residential Flats) etc.
6.	Built up Area details	71482.55 sq. mt.
7.	Building Permission	Building Permission Letter (Vide order no. PMT/BHO/0269/1265/2023, Dated 25/05/2023
8.	CTE	Consent No. CTE-61614, dated 22/01/2025
9.	MSW NOC	Vide order no. 742 Dated27/11/2025
10.	Sewage NOC	Vide order no. 646 Dated 29/11/2025
11.	T&CP Permission	Vide order no. BPLLP 120422210/Dated 16/08/2022
12.	Water NoC	Vide order no. 343 Dated 05/12/2025
13.	Waste Water NoC	PP Apply Letter dt. 03/01/2025.

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14.	**Water requirement details**	Fresh water requirement is approx. 306.60 KLD.
15.	**Total No. of Car Provided**	490 No.
16.	**RWH**	18 Pits.
17.	**Environmental Consultant Change**	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं **सदस्य SEIAA का अभिमत, सदस्य सचिव SEIAA से भिन्न है।** अध्यक्ष एवं सदस्य का मत सदस्य **सचिव से भिन्न होने का कारण नस्ती कमांक** 426 के पृष्ठ 26 पर **दर्शाया** गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA **एवं सदस्य SEIAA पूर्ण** विचरोपरांत बहुमत से **निर्णय** लिया गया है। प्रकरण से संबंधित परियोजना **प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत** जानकारी, व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर तथा **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21-05-2025 व 876**वी बैठक दिनांक **13-03-2026 में विशिष्ट शर्तों** सहित की अनुशंसा को बहुमत **के आधार पर मान्य** करते हुए पर्यावरणीय **मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्राधिकरण की विशिष्ट शर्तों (बिंदु i से x) व मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया**

i. प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण PCB द्वारा करवाए जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक (PP) द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यदि कार्यस्थल पर आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का उल्लंघन पाया जाता है, तो PCB द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी एवं Violation का प्रकरण होने पर प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

ii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iii. परियोजना के जलापूर्तिके लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

v. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।**

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/522930/2024; Case No: P2/1124/2025Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village – Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area –59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area71482.55 sq. mt. by Shri O.P Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) 462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति(EC)प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1124/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 26 एवं 27 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार Zenith Environment Consultancy Noida द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण एवं प्रकरण कमांक P2/1125/2025 में प्रस्तुत की गई EMP एवं Conceptual Plan में सिर्फ आकड़ों में फेरबदल किया गया है बाकी सभी जानकारी कट कॉपी पेस्ट की गई है इसी प्रकार SEAC में ADS के माध्यम से प्रस्तुत की गई जानकारी भी दोनो प्रकरणों में समान कट कॉपी पेस्ट कर प्रस्तुत की गई है, जो कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार की गंभीर त्रुटि/अपराधिक आशय को दर्शाता है।

II. बैठक के दौरान ही प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से ही परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यदि परियोजना स्थल पर पूर्व से कार्य प्रारंभ हो गया है तो प्रकरण Violation के श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत SEAC समिति द्वारा परियोजना स्थल का भौतिक सत्यापन (Site Visit) कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराये जाने एवं परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा कट कॉपी पेस्ट कर प्रस्तुत किये दस्तावेजों के संबंध में निमयानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन हेतु SEAC समिति को अग्रेषित किया जाये।

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

18. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/562490/2025; Case No.: P2/2242/2025 Prior Environmental Clearance for Commercial/Residential Flat "Datt Solitare, Commercial/Residential Activities Phase 1 & 3 by M/s. Datt Real Infra Pvt. Ltd., Khasra no. 9/4, 9/6, 9/6/KA, 9/6/KH, 9/7 Village NEW Mouza-Maheshpur, Narsingh Ward, Garha, Teh-Gorakhpur, Dist Jabalpur (M.P.), Built-up Area 40,372.72 sq.mt. by Shri Vishal Datt, S/O Shri Sudhir Datt, 1148/A, Napier Town, Jabalpur City, Jabalpur, Madhya Pradesh 482001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 876वी बैठक दिनांक 13.03.2026 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण Fresh EC के लिये आवेदन किया गया जबकि प्रकरण प्रस्तुत पूर्व CTE के अनुसार Expansion की श्रेणी का होता है, जिसे आवेदन स्वीकार करते समय ही देखा जाना था और परियोजना प्रस्तावक से Expansion of EC में आवेदन करवाया जाना चाहिए था।
2. SEAC समिति द्वारा भी उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान भी यह नहीं देखा गया कि प्रकरण Expansion of EC का ना कि Fresh EC का है। इसके उपरांत भी SEAC समिति द्वारा प्रकरण को Fresh EC का मानते हुए अनुशंसा की गई।
3. परियोजना स्थल की गूगल इमेज के अवलोकन के आधार पर परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य 20000 वर्गमीटर से अधिक किया जाना परिलक्षित है जो कि violation की श्रेणी को दर्शाता है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल की पूर्व में नगर निगम से प्राप्त की गई बिल्डिंग परिमीशन की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अतः पूर्व बिल्डिंग परिमीशन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।
5. प्रकरण में प्रस्तुत RQP Affidavit में कंसल्टेंट द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जो कि अपूर्णता दर्शाता है।
6. परियोजना स्थल गंगा सागर झील से लगभग 90 मीटर की दूरी पर स्थित है, अतः परियोजना से झील पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाए तथा संबंधित रिपोर्ट (Lake Impact Analysis report) प्रस्तुत की जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत SEAC समिति द्वारा परियोजना स्थल का भौतिक सत्यापन (**Site Visit**) कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराये तथा बिन्दु क्रमांक 4 से 6 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाये जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन हेतु **SEAC** समिति को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26	19/5/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/569600/2025, Case No. – P2/2304/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 3.00 Ha., For Producation Capicity of-90,000 Cum (70,000 M3/ Year Gitti & 20,000 M3/ Year), at Khasra No. 2292, 2295, 2296, Village- Bilheti, Tehsil Morar, District- Gwalior (M.P), by Shree Deepak Goyal, Partner, M/s Banke Bihari Stones, R/O-58, Defence State,Gwalior Road, District-Agra (U.P.)- 282001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी** बैठक दिनांक **12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्र. 1638 दिनांक 14.11.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.11.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

08/5/26 | 19/5/26 |
---|---|---
(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/558529/2026Case No. P2/2306/2026 PriorEnvironment Clearance for Murrum & Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.280 Ha., For Producation Capicity of – Murum 6000 Cum/year, Stone (Gitti)-9600 Cum/year & M-sand 14400 cum/year, at Khasra No. 77(S), Village – Tajpur , Tehsil & District - Ujjain (M.P.) by Shri Laljiram, Lessee, Village Naugaon, Tehsil Tarann, District Ujjain (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **875वी बैठक दिनांक 12.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 875वी बैठक दिनांक 12.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. I/513956/2025 दिनांक 24.09. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थित खमेर (पलाश) प्रजाति के छोट–छोटे पेडों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य **सचिव**	सदस्य	**अध्यक्ष**

21. Proposal No. SIA/MP/MIN/550584/2025, Case No. - 11020/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., For Production Capacity of-1,00,000 cum per year, at Khasra No. 4157, 4158, 4174, 4175, Village-Malipura, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) by Shri Ramnivas Sharma, Proprietor, R/o E-25, New Vivekanand Colony, Thatipur, Gird, District-Gwalior (MP)-474011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रुस्तत पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के Original हस्ताक्षर नहीं Scan हस्ताक्षर लगाये गये हैं। अतः नवीन शपथ पत्र Orignal हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाये।*
2. *प्रस्तावित खदान गूगल ईमेज एवं PM Gatishakri पोर्टल अनुसार शर्मा की खदान से ओवरलेप परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा तथ्यात्मक स्थिति जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत की जावे।*
3. *गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान में कई पेड़/झाड़िया परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत की जावे एवं यह भी बताया जावे कि खदान में कुल कितने पेड़ है व किस प्रजाति के हैं।*
4. *अनुमोदित खनन योजना के अनुसार Minable Mineral कितना है इसकी मात्रा बताई जावे।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 4 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जावे, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Replyको स्वीकार करते हुए, SEACकी 871वी बैठक दिनांक 19.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 16079–81 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से दिनांक 23.04.2020 से 10 वर्ष (दिनांक 22.04.2030 तक) की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.04.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

08/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

22. Proposal No. SIA/MP/IND1/547920/2025; Case No.-1923/2025: Prior Environmental Clearance for expansion phase I from 0.55 MTPA to 0.66 MTPA, (water requirement per tonne of concentrate will increase from 0.28m3/t to 0.39 m3/t) by Shri Anant Kumar Nikunj, Vice President – Operations, M/s 4MANN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, Correspondance Address -Plot No. 18 to 28, Hargarh Industrial Estate, Village Hargarh, Tehsil Sihora, District Jabalpur, Madhya Pradesh and Registered Address C/5 gala & Sethia Enterprise Building 3rd Floor, Road No, 11, MIDC, Andheri (East), Mumbai (Maharastra) - 400069. Cat: 2(b) Mineral Beneficiation Project.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रश्नाधीन प्रकरण कों SEAC द्वारा अपनी 837वी बैठक दिनांक 17.10.2025 में विचारण में लिया गया। SEAC ने अपनी उक्त बैठक में परियोजना प्रस्तावक से पृच्छा (query) की गई। इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा अपनी 868वी बैठक दिनांक 10.12.2025 में विचार किया गया। SEAC ने इस बैठक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक पाई जाने पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 में विचारण में लिया गया, इस बैठक में SEIAA द्वारा ADS जारी किया गया। प्रश्नाधीन ADS का जबाव परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25.04.2026 को प्रस्तुत किया गया। यह जबाव परियोजना प्रस्तावक ने mpseiaa@gmail.com पर दिनांक 25.04.2026 को भेजना बताया एवं इसकी प्रति chairmanmpseiaa@gmail.com पर भी भेजी गई। जिसमें SEIAA की बैठक में लगाये गये ADS का जबाव संलग्न किया गया। SEIAA द्वारा मुख्य रूप से जानकारी चाही गई थी कि प्रश्नाधीन प्रकरण में Certified Complaince Report अनुलग्नक के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नस्ती कमांक 5-25/2010(ENV) दिनांक 01.05.2025 अनुबद्ध शर्तों के पालन एवं certified of compliance का अनुवीक्षण प्रतिवेदन सक्षम अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी 19 अनुलग्नक भी संलग्न पाये गये हैं। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 1 से 3 तक के अनुलग्नक ही परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं जबकि प्रकरण में सभी अनुलग्नक ईमेल पर उपलब्ध हो गये हैं यह तथ्य सदस्य सचिव द्वारा नहीं बताया गया।

प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA का अभिमत सदस्य सचिव के अभिमत से भिन्न है जिसका उल्लेख नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 27 पर दर्शाया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में विशिष्ट शर्तों सहित की अनुशंसा को बहुमत के आधार पर मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्राधिकरण की विशिष्ट शर्तों (बिंदु i से ix) व मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

14/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

परियोजना की वस्तुस्थिति :–

1. प्रस्तावित प्रकरण कि **4MANN Industries Private Limited** द्वारा हरगढ़ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ग्राम हरगढ़, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश) में संचालित मौजूदा लौह अयस्क बेनिफिसिएशन प्लान्ट की क्षमता विस्तार 0.55 MTPA से बढ़ाकर 0.66 MTPA करने हेतु श्री अनंत कुमार निकुंज, उपाध्यक्ष संचालन, मेसर्स **Shri Anant Kumar Nikunj, Vice President – Operations, M/s 4MANN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, C/5 gala & Sethia Enterprise Building 3rd Floor, Road No, 11, MIDC, Andheri (East), Mumbai (Maharashtra) 400069** द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. यह परियोजना एक लौह अयस्क बेनिफिसिएशन प्लान्ट के विस्तार से संबंधित है, जिसमें प्रथम चरण हेतु विस्तार उत्पादन क्षमता **0.55 MTPA** से बढ़ाकर **0.66 MTPA** किया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 14 सितम्बर 2006 (समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार) के अंतर्गत अनुसूची 2(b) **Mineral Beneficiation Project** श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 16 तक अंकित है।

प्राधिकरण की विशिष्ट शर्तें :–

i. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल द्वारा जारी सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट में आंशिक रूप से पूर्ण किये गए कार्यों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

ii. परियोजना में आयरन ओर का बेनीफिकेशन किया जा रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि बेनीफिशियेशन से जेनरेटेड रिजेक्ट का उचित प्रबंध करे, जिसे पर्यावरण को किसी प्रकार कि क्षति न हो तथा उत्पादन क्षमता के अनुसार प्लांट में Raw Material के रखरखाव कि समुचित व्यवस्था हो।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचालन के समय पानी की मांग पूर्ति हेतु भूजल पानी से किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने भूजल के दोहन हेतु CGWA से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है। भूजल की निकासी को रोकने हेतु परियोजना प्रस्तावक को सतही जल (Surface Water) के उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिये।

iv. परियोजना प्रस्तावक परिवहन मार्ग के साथ ईकाई की सीमा पर सघन वृक्षारोपण करेगा और वृक्षारोपण को भी मजबूत करते हुए संपूर्ण वृक्षारोपण 02 वर्षों के भीतर पूरा करें।

v. परियोजना स्थल के चारों ओर विशेष रूप से प्रबल हवा की दिशा में सघन हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। बसाहट की ओर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये स्थल की सीमा के साथ–साथ सघन हरित पट्टी विकसित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

vi. ईकाई से निकले रिजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा ईकाई के अंदर पुनरूपयोग किया जायें ताकि किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो सकें।

vii. ईकाई परिसर के अंदर की सभी सड़के पक्की होनी चाहियें एवं परियोजना प्रस्तावक को खनिजों के परिवहन के लिये उपयोग की जाने वाली सड़क का रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिये।

viii. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करे एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

ix. ट्रकों एवं वाहनों के आवागमन हेतु सड़क की उचित चौड़ाई और टर्निंग रेडियस सुनिश्चित करते हुये कम से कम ट्रकों के लिये पक्का पार्किंग–वे विकसित किया जाना चाहिये।

x. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दुर्घटना के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही हेतु प्रवेश और निकासी की अलग–अलग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

22. Proposal No. SIA/MP/IND1/547920/2025; Case No.-1923/2025: Prior Environmental Clearance for phase I from 0.55 MTPA to 0.66 MTPA expansion, (water requirement per tonne of concentrate will increase from 0.28m3/t to 0.39 m3/t) to M/s. 4MANN Industries Private Limited operates an existing Iron Ore Beneficiation Plant (0.55 MTPA) located at Hargarh Industrial Estate, Village Hargarh, Tehsil Sihora, District Jabalpur, Madhya Pradesh by Shri Anant Kumar Nikunj, Vice President – Operations, M/s 4MANN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, C/5 gala & Sethia Enterprise Building 3rd Floor, Road No, 11, MIDC, Andheri (East), Mumbai (Maharastra) - 400069(Qry Reply). Cat: 2(b) Mineral Beneficiation Project.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1923/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 27 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04. 05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. **उक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण् को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की बैठक 943 दिनांक 09.03.2026 मे पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि**

"Online Parivesh Portal पर प्रस्तुत प्रकरण की भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी "पर्यावरणीय स्वीकृति" की Certified Compliance Report के साथ उल्लेखित Annexures संलग्न नहीं किए गए हैं, जिसके कारण प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा संबंधित Certified Compliance Report में उल्लेखित सभी संलग्नक स्पष्ट रूप से क्रमांकित (with proper numbering) के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

II. **उक्त के परिपालन में " M/s 4MANN INDUSTRIES Pvt. Ltd के पत्र दिनांक 26.03.2026 द्वारा MPSEIAAको PARIVESH पोर्टल पर reply प्रस्तुत किया गया।**

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

III. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ दर्शाये गये 1 से 19 **Annexure** में से मात्र 1 से 3 तक के **Annexure** ही संलग्न किये गये है तथा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये।

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका **3(7)** के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

23. Proposal No. SIA/MP/MIN/523807/2025, Case No. 670/2012 Prior Environmental Clearance for Barahia Limestone Mine (Opencast fully mechanized method) in an area of 7.102 ha. for production capacity 30,000 TPA, at Village Barahia, Teh-Maihar, Dist-Stana (MP) by Shri. Pawan Kumar Ahluwalia, M.D., M/s K.J. S. Cement Ltd., Near Railway Crossing N.H.-7 Maihar, Distt. – Satna (M.P.) – 485771 regarding transfer of EC in the name of M/s KJS Cement (I) Ltd, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar (MP) 48577

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 936वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय–सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है एवं खदान के बैरियर जोन में वृक्षारोपण परिलक्षित नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक **26.03.2026** के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व भौतिक सत्यापन (Site Visit) एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. Proposal No. SIA/MP/MIN/524166/2025, Case No. 669/2012 Prior Environmental Clearance for Limestone mine in an area of 45.888 ha for production capacity of 5.0 lac TPA, at Village Bhatiya, Tehsil Maihar, Distt. Satna (MP) by Shri. Pawan Kumar Ahluwalia, M.D., M/s K.J. S. Cement Ltd., Near Railway Crossing N.H.-7 Maihar, Distt. – Satna (M.P.) – 485771 regarding transfer of EC in the name of M/s KJS Cement (I) Ltd, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar (MP) 48577

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 936वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय–सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है एवं खदान के बैरियर जोन में वृक्षारोपण परिलक्षित नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS **दिनांक 26.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व भौतिक सत्यापन (Site Visit) एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26 19/05/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

25. Proposal No. SIA/MP/MIN/544564/2025, Case No. P2/39/2024 Prior Environment Clearance for Laterite and Overburden (Opencast semi mechanized method) in an area of 27.140 ha. for production capacity of Laterite –50179 TPA and Overburden – 1994 TPA, at Khasra No. 106, VillageKhejaddiyaaMeghaa, Tehsil –Suwasara District – Mandsaur (M.P) by Shri Himmat Singh, R/o 237 Gram Maukhedi, Tehsil-piploda, DistrictRatlam (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रश्नाधीन प्रकरण को SEAC ने अपनी 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 में विचारण में लिया था। इसमें SEAC ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् पर्यावरण सलाहकार को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे जो SEAC की उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में उपलब्ध हैं। इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण को SEAC में अपनी 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 में पुनः विचार में लिया था। इस बैठक में SEAC ने उल्लेख किया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये ईआईए क्वैरी के प्रस्तुतीकरण में परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा प्रस्तुत समाधान को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य होने से समिति पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में विचार किया गया। प्राधिकरण ने उक्त बैठक में ADS जारी किया गया। जिसका संतोषजनक जबाव परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA की 948वी बैठक के पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद प्रश्नाधीन प्रकरण पर SEIAA की 948वी बैठक दिनांक 04.05.2026 में विचार किया गया था। अध्यक्ष SEIAA एवं सदस्य SEIAA का अभिमत सदस्य सचिव SEIAA से भिन्न है। प्रश्नाधीन प्रकरण के संबंध में नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 28 पर भी पृच्छा की गई है। अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को बहुमत के आधार पर मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 10748 दिनांक 05.08.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.08.2052 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट (आबादी) एवं** पक्की सड़क से न्यूनतम **100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन में स्थित वृक्षों को पूर्ण रूप से **सुरक्षित रखा जावेगा।** खनन क्षेत्र में गूगल ईमेज में जो वृक्षों का हरित बेल्ट (कतारबद्ध वृक्षों) **दिख रहा है को नहीं** काटा जावेगा। उस क्षेत्र को संरक्षित कर सक्षम प्राधिकारी से चिन्हांकित **करवाकर नो माईनिंग जोन के रूप में रखा जावेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेशों के परिपालन में** सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत **ही काटा जायेगा एवं इसके एवज में 10 गुना पौधों** का रोपण किया जायेगा व संरक्षण हेतु **ट्री गार्ड लगाये जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय** उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित** आदेशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित **किया जायेगा।**

(vi) पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन 03 माह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा। **यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन उक्त समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने** से पहले कृषि भूमि से **न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र** विकसित किया जायेगा **एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।**

14/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(x) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19/5/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

54.

25. Proposal No. SIA/MP/MIN/544564/2025, Case No. P2/39/2024 Prior Environment Clearance for Laterite and Overburden (Opencast semi mechanized method)in an area of 27.140 ha. for production capacity of Laterite –50179 TPA and Overburden – 1994 TPA, at Khasra No. 106, VillageKhejaddiyaaMeghaa, Tehsil –Suwasara District – Mandsaur (M.P) by Shri Himmat Singh, R/o 237 Gram Maukhedi, Tehsil-piploda, DistrictRatlam (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025**में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

Dissenting decision of Member Secretary.

I have shown my disagreement with the decision taken on case no P2/1206/2025. The basis of my disagreement.

(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राधिकरण की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2026 में सभी सदस्यों के समक्ष हुई चर्चा अनुसार सर्वसम्मति से बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यवाही विवरण तैयार कर दिनांक 08.05.2025 को हस्ताक्षरित कर दिनांक 08.05.2026 को ही अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता शासन के आदेश के परिपालन में दिनांक 09.05.2026 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 05.06.2026 तक मिडकैरियर प्रशिक्षण पर मसूरी पर कर्तव्यस्थ रहे। अधोहस्ताक्षरकर्ता की इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर न करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में बैठक के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं कार्यवाही विवरण की नस्ती दिनांक 20.05.2026 को अधोहस्ताक्षकरर्ता के प्रशिक्षण प्रवास पर होने के दौरान प्रेषित की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रशिक्षण से वापसी उपरांत दिनांक 08.06.2026 को कार्यभार ग्रहण करने पर नस्ती के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये निर्णय से भिन्न है।

(2) **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) प्राधिकरण की बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

" All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

09/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(3) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित स्थितियों के अनुक्रम में प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपना मत आगामी पैरा में पृथक से वर्णित किया है, जो दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तदानुसार दिनांक 08.05.2026 को निर्मित कार्यवाही विवरण के अनुरूप है। जहॉ तक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन नस्ती कमांक 426 के पृष्ठ कमांक 28 पर जो पृच्छा की गई है वह प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04. 05.2026 के सम्पन्न होने के 08 दिवस उपरांत और कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित करने के 04 दिवस उपरांत की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्समय अधोहस्ताक्षरकर्ता मिडकैरियर प्रशिक्षण पर कर्तव्यस्थ रहा था। **ईआइए अधिसूचना 2006 व** पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3 (7) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले मतों का विवरण विस्तार से कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने और उसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान एजेण्डा में सम्मिलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पश्चात् अथवा बैठक से इतर किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने अथवा उक्त पृच्छा पर किसी स्तर से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पृच्छा का पृथक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) **अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्णय सर्वसम्मत से नही होने के कारण सदस्य सचिव का मत निम्नानुसार है :–**

I. **प्राधिकरण की 936वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में परियोजना प्रस्तावक से यह पृच्छा की गई थी कि खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है, एवं पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान वनमण्डलाअधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये।**

II. **प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वनमण्डलाधिकारी का पत्र 1091 दिनांक 11.03. 2026 प्रस्तुत किया गया है। वनमण्डलाधिकारी के पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कुल 662 वृक्ष (नीम, महानीम, चिरोल, तेन्दु, पलाश एवं खेजड़ा प्रजाति के) मौजूद है जिनको काटे जाने का उल्लेख भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया गया है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अभिप्रमाणित जानकारी प्रेषित नहीं की गई है कि पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है। इसके अलावा वनमण्डलाधिकारी की ओर से पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का अभिप्रमाणित प्लान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

9/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

III. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड आवेदन के साथ संलग्न ईआईए एवं ईएमपी में लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि SEAC द्वारा अनुशंसित ToR की शर्त में भी लीज क्षेत्र में दिख रहे वृक्षों की ट्री इन्वेन्ट्री व संख्या फाईनल ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने की शर्त अधिरोपित की गई थी जिसका परिपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है।

IV. इसी प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए/ईएमपी में बताये गये 51500 पौधों के रोपण का प्लान ईएमपी के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि पर्यावरण स्वीकृति के प्रत्येक प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किये जाते है। उक्त 51500 पौधे **Compensatory Plantation** के तहत रोपित किये जायेंगे, इसका उल्लेख ईआईए/ईएमपी प्रतिवेदन में कहीं भी नहीं किया गया हैं।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEAC समिति के समक्ष दिये गये प्रस्तुतीकरण में Existing Trees की संख्या 20 बताई गई, जिनको काटे जाने के एवज में 200 पौधों का रोपण किया जायेगा का उल्लेख SEAC के कार्यवाही विवरण में किया गया है। SEAC समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर ही प्रकरण में अनुशंसा की गई, किन्तु **ToR** में अधिरोपित **II (1)** के परिपालन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

VI. चूँकि SEAC समिति द्वारा पूर्व में परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार के बताये गये अनुसार लीज क्षेत्र में मौजूद 20 ExistingTrees के आधार पर परीक्षण कर अनुशंसा की गई है जबकि वर्तमान में लीज क्षेत्र में 662 ExistingTrees वनमण्डलाधिकारी द्वारा बताये गये है तथा 662 वृक्षों के एवज में कितने पौधों का रोपण कहा किया जायेगा एवं किस प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगे व उनके सुरक्षा के क्या उपाय किये जायेंगे की जानकारी भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी एवं प्राधिकरण में **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत की गई **Exsting trees** की जानकारी दोनो में ही असमानता है। अतः प्रकरण उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाये ।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
09/6/26

इस कार्यवाही विवरण के प्रश्नाधीन प्रकरण में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआइए अधिसूचना 2006 व पश्चावर्ती संशोधन की कंडिका 3(7) के अनुसार कार्यवाही विवरण की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।

26. Proposal No. SIA/MP/MIN/560925/2025, Case No. P2/2253/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Ha., for production capacity of Boulder/Stone (Gitti) - 5,000 Cubic meter/year, at khasra No. 43/24, Village Chakaudiya Tehsil Jaitpur, District Shahdol (M.P.) by Mohammad Yahiya, S/o Shri Mohammad Yusuf, R/o- Village & Post-Jaitpur, Tehsil-Jaitpur, District- Shahdol, (M.P.) – 484669

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **871वी बैठक दिनांक 19.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 945वी बैठक दिनांक 11.03.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण में 7.5 मीटर बैरियर ज़ोन के विभिन्न भागों में रोपित किये जाने वाले प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का विवरण भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है। अतः बैरियर ज़ोन की कुल परिधि कितनी है का उल्लेख भी नहीं है। अतः बैरियर जोन की कुल परिधि एवं उसमें रोपित किये जाने वाले प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।*
2. *EMP के बिंदु 10 (Tree Plantation) में प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों का चयन पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त एवं वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः स्थानीय / देशी प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए पौधों की प्रजातियों का संशोधित एवं औचित्यपूर्ण जानकरी प्रस्तुत की जाए।*
3. *EMP के Table 10.1 के अनुसार बैरियर ज़ोन एवं अप्रोच रोड के साथ कुल 400 पौधे लगाए जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु बैरियर ज़ोन एवं अप्रोच रोड़ पर किस प्रजाति के कितने–कितने पौधों का रोपण किया जायेगा के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।*
4. *पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत Revised CER (Corporate Environment Responsibility) योजना विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाए।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 4 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जावे, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 27.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

08/5/26	19/5/26	
(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

27. Proposal No. SIA/MP/MIN/545610/2025, Case No. P2/1064/2025 Prior Environment Clearance for Crusher Stone and M-Sand Quarryin an area of3.964 ha. for Production Capacity of Gitti 10,000 cum/annum and M-Sand 50,000 cum/annum and Murrum 27,000 cum/annum, at Khasra No. 1032, 1033/2, Village: Ambachandan, Tehsil: Mhow & District: Indore (M.P.) by M/s Agrawal Mines And Minerals, Partner - Shri Kalyan Agrawal, 21, Dhanwantri Nagar, Dist. - Indore, (M.P.) 451010

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **854वी बैठक दिनांक 18.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 939वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **ADS Reply** एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत पाया गया कि :*

1. *ईआईए रिपोर्ट की टेबल 3.7.2 में Study एरिया कोरल नदी, विक्रम जलाशय, सिमरोल पोन्टस इत्यादि की दर्शायी गई है परंतु इनकी बायोलॉजिकल अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।*
2. *ईआईए रिपोर्ट में Soil Study में Soil Profile की अध्ययन रिपोर्ट नही दी गई है।*
3. *ईआईए रिपोर्ट में बायोलॉजिकल Diversity अध्ययन के लिये कम से कम 10 सैम्पलिंग स्टेशन चिन्हित कर उनकी अध्ययन रिपोर्ट ईआईए में सम्मिलित करें एवं उसमें Heterogeneity अध्ययन का भी उल्लेख करें।*
4. *ईआईए रिपोर्ट में खदान क्षेत्र में झाडियों का उल्लेख किया गया है लेकिन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।*
5. *ईआईए प्रतिवेदन में CER प्लान पर्यावरण की दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः Revised CER प्लान प्रस्तुत करें तथा CER प्लान में ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के सहयोग से एक छोटे वन का निर्माण सम्मिलित करें।*
6. *ईआईए रिपोर्ट के टेबल 2.7.2 में वर्षवार Production plan में Production Quantity के आंकड़ों में विरोधाभाष है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **ADS Reply** को स्वीकार करते हुए, **SEAC**की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 9191 दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

08/5/26 | 19/5/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मंदिर से न्यूनतम 200 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

08/5/26
(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

19/5/26
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर** एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का **अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र** प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया **जावेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के** दौरान की गई प्रतिबद्धता **अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक** छमाही अनुपालन प्रतिवेदन **जमा करेगा।**

(x) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम** के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के **33** प्रतिशत बराबर के हिस्से **में उपयुक्त** प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये **जाने** हेतु जिला कलेक्टर द्वारा **जिला स्तर** पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे **जिनके द्वारा संयुक्त** भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी अनिवार्यतः** जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध **करावाई जाये।**

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में **बैठक** धन्यवाद **के** साथ समाप्त हुई।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016

    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

परिशिष्ट–2

(1) **Waste water management:-**

(a) PP should ensure 100% recycling of waste water and maintain zero discharge.

(b) There shall be no industrial effluent discharge within the project premises.

(2) **Air Quality Management:-**

(a) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(b) PP should ensure regular Stack monitoring & Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(c) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(d) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(e) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(f) Separate civil construction material storage yard should be created within the site and it will be enclosed.

(g) Possibility of increasing the pace of green belt development along with construction activity will also be explored.

(h) Transport vehicles and construction equipments / machineries will be properly maintained to reduce air emissions.

(i) Vehicles and equipments will be periodically checked for pollutant emissions against stipulated norms.

(j) Idle running of vehicles will be minimized during material loading / unloading operations.

(3) Tailings generated from the process shall be used for brick manufacturing / building material as far as possible. Storing / dumping of this waste should be avoided. However, if stored or dumped, in abundant mine pit the ground water monitoring of the area has to be carried out periodically in consultation with MPPCB.

(4) Dense green area (not less than 33% of the total plot area) shall be developed all around the site especially in the predominant wind direction.

(5) Occupational health check-up camps shall be organized regularly and records of health of each and every worker should be maintained at site.

(6) National Ambient Air Quality Standard issued by the Ministry vide GSR No. 826 (E) dated 16.11.2009 shall be followed.

(7) Secondary fugitive emissions from all sources shall be controlled within latest permission limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code or practice issued by CPCB shall be followed.

(8) Regular monitoring of influent and effluents surface, sub-surface and ground water shall be ensured and treated waste water shall be re-cycled in the process. Leachate study for effluent generated & analyses should also be regularly carried out and report submitted to ministry and MPPCB.

(9) Risk & Disaster Management Plan along with the mitigation measures should be prepared and copy shall be submitted to Ministry of Environment & Forests, GoI& MPPCB.